भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1076
जिसका उत्तर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

संशोधित राष्ट्रीय मुकदमा नीति

1076 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय मुकदमा नीति (एनएलपी) की समीक्षा करने का विचार है जो अंतिम बार 2010 में सामने आई थी, यदि हां, तो कब तक ;

(ख) क्या केंद्र सरकार देश में सबसे बड़ी वादी है, सरकार की ओर से अवांछित और परिहार्य मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का सरकारी मुकदमों में कमी का आकलन करने के लिए आवधिक प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम, जो एनएलपी, 2010 में शामिल नहीं था, को उक्त नीति में शामिल करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी, राष्ट्रीय मुकदमा नीति विधि कार्य विभाग द्वारा 2010 में सूत्रबद्ध की गई थी । मंत्रिमंडल के लिए प्रारूप टिप्पण सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके सुझावों और जानकारी के लिए परिचालित किया गया था । बाद में, राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010 में सुधार किया गया और संशोधित नीति, विभिन्न स्तरों पर काफी विचार-विमर्श के पश्चात्, जिसमें अंतर-मंत्रालयी, सचिवों की समिति, मंत्रियों की अनौपचारिक टीम और विधि आयोग शामिल थे, को सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा विचार के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया था ।

14.09.2017 को बैठक के दौरान, सीओएस ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि मुकदमों को कम करने के आशय को राष्ट्रीय मुकद्दमा नीति तैयार करने के बजाय सरल मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है । वर्तमान में, उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रारूपण विचाराधीन है ।

******